

फा.सं.3/42/2013-एसडी/एएम  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र  
सूत्रधार प्रभाग

दिनांक : 15.01.2015

**किसी अन्य संगठन/व्यक्ति आदि के साथ निष्पादित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन/  
करार की मानक कार्य-विधि**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने एक प्रमुख सांस्कृतिक संसाधन और अनुसंधान केंद्र के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए अनुसंधान संस्थाओं, अलग-अलग विशेषज्ञों और संबंधित संगठनों के साथ करार/समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। समझौता ज्ञापन/ करार को निष्पादित करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने तथा उचित अभिलेख रखने के लिए इसके बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- (i) समझौता ज्ञापन सामान्यतः एसओपी 13 में दिए गए फार्मेट में तैयार किया जाएगा।
- (ii) यदि उसके कोई वित्तीय प्रभाव होंगे तो उस करार/ समझौता ज्ञापन के संबंध में वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति ली जाएगी और उसके पश्चात अनुमोदन के लिए उसे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) यदि समझौता ज्ञापन में एक से अधिक प्रभार शामिल हों, तो समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित प्रभागों से परामर्श किया जाएगा।
- (iv) समझौता ज्ञापन पर संबंधित प्रभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (v) ऐसा समझौता ज्ञापन, जिसमें समग्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र शामिल हो, यथा विश्वविद्यालयों, मंत्रालयों, अकादमियों आदि के साथ किए जाने वाले व्यापक समझौता ज्ञापन, पर निदेशक (प्रशासन) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (vi) हस्ताक्षर किए गए सभी समझौता ज्ञापनों/ करारों की एक-एक प्रति सीडीएन अनुभाग को भेजी जाएगी और उनसे प्राप्त पावतियों को संबंधित फाइल में रखा जाएगा।

(vii) सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने समझौता ज्ञापनों की आवधिक समीक्षा करेंगे और यदि उसमें कोई समय-सीमा निर्धारित की गई हो, तो उसका सख्ती से पालन करेंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश समय-सीमा को बढ़ाना पड़े, तो विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस मामले को फाइल पर प्रस्तुत करेगा।

ह./- जयंत कुमार रे  
निदेशक (प्रशासन)

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष